प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 09.01.2026

" आपरेशन क्रैक डाउन" के तहत जनपदीय एसओजी, थाना दुधारा तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्तरुप से कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान वांछित गौतस्कर को किया गया गिरफ्तार

वांछित गौतस्कर के पास से 01 अदद .315 बोर का अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 अदद मिस फायर कारतूस, 01 अदद मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में *जनपदीय एसओजी, थाना दुधारा तथा थाना कोतवाली पुलिस* द्वारा संयुक्तरुप से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 09.01.2026 को आज प्रातः लगभग .... बजे जरिये मुखबीर सूचना मिली कि वांछित गौतस्कर अब्दुल कलाम पुत्र मोहम्मद अतीक निवासी रक्साकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर कानपारा पड़सौना रोड पुलिया के पास के मौजुद है। थाना दुधारा, थाना धनघटा पुलिस एवं SOG टीम के पहुचने पर उन लोगो द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस की जबाबी फायरिंग में 02 अभियुक्तगणों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिनके पैर में गोली लगी है।
बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01. इकलाख पुत्र झिनक निवासी कथकपुरवा थाना रुदौली जनपद बस्ती। (घायल)
02. अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील निवासी रक्साकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर। (घायल)
आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील का अपराधिक इतिहास-
1. अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील के विरुद्ध मु0अ0सं0 249/25 धारा 110/115(2)/117(2)/351(3)/ 352 बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
बरामदगी का विवरणः-
- 02 अदद .315 बोर अवैध तमंचा।
- 02 अदद जिंदा कारतूस।
- 02 अदद खोखा।
- 100 किलोग्राम अवैध गौमांस
- 02 अदद चाकू।
- 100 किलो प्रतिबंधित मांस।
- 01 अदद लकड़ी का ठेहा।
- 02 अदद बोगदा।
- तराजू, बाट व रस्सी आदि।

घटना का विवरणः-
आज प्रातः लगभग 03:30 बजे थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रक्साकला के पास जंगली बगीचा में प्रतिबंधित गौमांस की मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम रक्षा कला गांव के पास जंगली बाग सुनसान स्थान पर गो तस्करों द्वारा गोवंश अपराध के करने के संबंध में सूचना मिली, सूचना पर तत्परता दिखाते हुए थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा एसओजी व थाना धनघटा पुलिस बल द्वारा संयुक्तरुप से रक्साकला स्थित बाग को चारों तरफ से घेर कर घटनास्थल के करीब जाने का प्रयास किया गया तभी अंधेरे का फायदा उठाकर 05 अभियुक्त भागने लगे जिन्हें रोकने के लिए कहा गया तभी पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायर करने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षक जवाबी फायरिंग की गई जिसमें 02 अभियुक्तों के पैर गोली लगी। गोली लगने से 02 अभियुक्त मौके पर गिर गए तथा अंधेरे का फायदा उठाकर 03 अन्य अभियुक्त भागने में सफल हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के संबंध में टीम गठित कर दी गई है।
मौके पर घायल गिरफ्तार अभियुक्त अखलाक पुत्र झींनक निवासी कथक पुरवा थाना रुधौली जनपद बस्ती के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अदद चाकू बरामद हुआ तथा दूसरे अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील निवासी रक्सा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिंदा कारतूस तथा 01 अदद चाकू बरामद

हुआ। घायल अभियुक्तों को तत्काल सी0एच0सी0 सेमरियांवा पहुंचाया गया जहां से डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के उपरान्त जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटनास्थल से घटना स्थल से 100 किलोग्राम प्रतिबन्धित मांस, 02 अदद रस्सी, 01 अदद लकड़ी की ठेहा, 02 अदद बोगदा, 02 अदद चाकू व बोरी आदि बरामद किया गया। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-
1. प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, उ0नि0 श्री शोभनाथ, उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का भीम कुमार, का0 राधेश्याम गिरि, हे0का0 राघवेन्द्र सिंह।
02. प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, हे0का0 अनूप कुमार राय, हे0का0 विवेक कुमार राय, का0 अभिषेक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 दीपक सिंह, का0 वीरबहादुर यादव, का0 अरुण हलवाई, का0 शुभम सिंह, का0 अमरजीत मौर्य संतकबीरनगर।
2. प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जयप्रकाश दूबे, का0 रजनीश यादव, का0 महेन्द्र निषाद, का0 सोनू कुमार।

कृपया पेपर कटिंग के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या तत्काल भेजाना सुनिश्चित करें।
जनपद/थाना – संतकबीरनगर थाना बेलहरकला।
मुकदमा/गिरफ्तारी – मु0अ0सं0. 07/2026 धारा 299/324(2) बीएनएस।
दिनांक घटना- 07.01.2026
घटना का संक्षिप्त विवरण- सादर अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2026 को सुबह 8:30 बजे थाना बेलहरकला पर सूचना मिला कि ग्राम कुशहरा में बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को 07/08.01.2026 की रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा पहुंचकर कर सबको समझा बुझाकर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा सबके सहयोग से मेहदावल से मूर्ति मंगाकर लगवाया गया है। वादी रामसरन पुत्र बरसाती निवासी ग्राम कुसहरा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर के प्रार्थना पत्र के अनुसार गांव वालो के मदत से 07 वर्ष पूर्व रोड के किनारे बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी थी दिनांक 7/8.01.26 की रात्रि मे किसी अज्ञात व्यक्तियो द्वारा बाबा साहब का दाहिना हाथ तोड़ दिया गया है व माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/2026 धारा 299/324(2) बीएनएस पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

दबिश के दौरान 09 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01 अनिरुद्ध चौधरी पुत्र छोटेलाल 02 राजदेव चौधरी पुत्र उदयराज निवासीगण हूजुरा सोहवां थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिह, का0 सोनू यादव।

थाना धनघटा पुलिस- द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. संतोष कुमार पुत्र बाबूलाल केवट निवासी छपरा मगर्वी 02. अनिल पुत्र बिरजू निवासी महाखरपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, हे0का0 प्रमोद कुमार राय, हे0का0 राणा प्रताप यादव, हे0का0 मोहन कुमार।

थाना महुली पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01 राजू पुत्र मूरत निवासी जोगाराजा 02 सुनील कुमार पुत्र मुन्नर प्रसाद निवासी तरयापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जगन्नाथ सिंह यादव, उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, हे0का0 नुरुद्दीन खान, का0 अभिषेक सिंह।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01 दशरथ निषाद पुत्र झिनक निवासी गोशाला कस्बा मेंहदावल 02 हरिकेश पुत्र विश्वनाथ निवासी वेलनवनवा 03 फूलचन्द्र पुत्र राजिन्दर निवासी मरवटियां थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, उ0नि0 श्री एखलाक, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 धर्मेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनों से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 09.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनों से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 68 स्थानों पर 1537 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***927 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***
- ***37 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***75 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 221 व्यक्तियों को चेक किया गया, 210 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 01 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 147 व्यक्तियों को चेक किया गया, 47 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 06 स्थानों पर 208 व्यक्तियों को चेक किया गया, 194 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 14 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 186 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 64 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 19 स्थानों पर 205 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 215 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 20 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक किया गया, 35 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, 20 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 स्थानों पर 150 व्यक्तियों को चेक किया गया, 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 60 व्यक्तियों को चेक किया गया, 57 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 73 स्थानों पर 2490 वाहनों को किया गया चेक ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 89 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 869 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 09.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि(14 दिन) व 2500 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 09.01.2026 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 317/2012 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा0द0वि0 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त हरिराम केवट पुत्र मुनेसर निवासी बेलहरखुर्द थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि(14 दिन) व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 09.01.2026 को **माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर** द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री राजाराम पुत्र श्रीराम निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत अभियुक्त हरिकेश पुत्र विश्वनाथ निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 440/12 धारा 352/323/504/506 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को धारा 352/323/504/506 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अपराध में एक अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 09.01.2026 को **माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर** द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राकेश थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत अभियुक्त रघुनाथ पुत्र बृजलाल केवट निवासी गंगासागर पुरवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थान मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 164/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में एक 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 09.01.2026 को **माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर** द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री हरिमगन पुत्र सुकाल निवासी पचपेड़वा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर बावत अभियुक्तगण 01.श्यामलाल पुत्र लालसा 02. शिवदास पुत्र लालसा 03.अर्जुन पुत्र लालसा 04. वीरेन्द्र पुत्र लालसा निवासीगण पचपेड़वा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी मुकदमा व उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने जिससे वादी की पत्नी की पैर की हड्डी टूटने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री पी0के0 चौबे द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 132/2013 धारा 325/323/504/506 भादवि थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त शिवदास पुत्र लालसा निवासी पचपेड़वा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 325/323/504/506 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती से अपराधिक विश्वासघात करके पैसे व जेवर लेकर गिरवी रख देने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं 1155/2025 धारा 316(2)/351(3)/352/64(1)/123 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त राजू गुप्ता पुत्र वासदेव प्रसाद निवासी गोलाबाजार हुनमानगढ़ी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 10.01.2026 को जनता मार्ग कसैला मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 12.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी से अपराधिक विश्वासघात करते हुए पैसे व जेवर लेकर उसको गिरवी रख देने तथा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 10.01.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 बलराम यादव